न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1, गाजियाबाद।

उपस्थितिः निरंजन चन्द पाण्डेय, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code No.UP-6061

विविध वाद सं० 237/2023

CNR NO UPGZO 1007878-2023

संजय कुमार .....बनाम.....उ०प्र० सरकार आदि

दिनांक 10-10-2023

पत्रावली पेश हुई।

पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

1- प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण अवर न्यायालय द्वारा परिवाद सं० 28/2018 पंजाब नेशनल बैंक बनाम संजय कुमार, अंतर्गत धारा 138 एन आई एक्ट, थाना इन्दिरापुरम, जिला गाजियाबाद में पारित तलबी आदेश दिनांक 23-06-2018 के विरूद्ध न्यायालय में योजित की है। निगरानीकर्ता को उक्त परिवादी की कोई जानकारी नहीं थी। निगरानीकर्ता को परिवादी में जारी वारण्ट की दिनांक 23-01-2023 को जानकारी हुई, तब दिनांक 24-01-2023 को नकल सवाल डाला तथा दिनांक 08-02-2023 को प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाकर दाण्डिक पुनरीक्षण समय अवधि में स्वीकार किया जाना अति आवश्यक है। आवेदक ने जानबूझकर कोई विलम्ब कारित नहीं किया है, बल्कि जो विलम्ब हुआ वह उपरोक्त कारणों से हुआ है तथा प्रार्थना पत्र के माध्यम से भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विलम्ब को क्षमा करते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

2- प्रत्युत्तरदाता सं० 2 की ओर से आपत्ति करके कथन किया गया है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 09-02-2023 के बाद से दिनांक 04-04-2023 तक निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम नहीं प्रस्तुत किये जाने का कोई विवरण नहीं दिया गया है। अतः अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

3- मैने अपीलार्थी एवं प्रत्युत्तरदाता के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4- पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि आवेदक ने अपने विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र में यह अभिकथन किया है कि निगरानीकर्ता को परिवाद उपरोक्त की कोई जानकारी नहीं थी। परिवाद उपरोक्त की जानकारी उसे न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय अधिपत्र दिनांक 23-01-2023 को प्राप्त होने के उपरांत हुआ। तब निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने दिनांक 24-01-2023 को नकल सवाल उाला, जो दिनांक 08-02-2023 को प्राप्त

हुआ। आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

5– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मनोहरन बनाम शिवराजन एल० सी० डी० 2014 (32) पृष्ठ–1 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यह न्यायालय का न्यायिक विवेक है कि न्यायहित में विलम्ब को क्षमा करे, जब तक कि प्रार्थना पत्र के तथ्यों से यह दर्शित न हो कि जानबूझकर विलम्ब कारित किया गया है।

6– दाण्डिक पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र संस्थित करने का अधिकार पक्षकारों का सांविधिक अधिकार है। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि सारवान न्याय को तकनीकी प्रक्रिया पर प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि पर्याप्त हेतुक का अर्थान्वयन सारभूत न्याय के लिये उदारता पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रक्रिया की विधियॉ सारवान और वास्तविक न्याय करने के उद्देश्य में मदद करने, सहयोग करने और प्रभावी रूप से विनियमित करने के लिये तात्परित है। दाण्डिक पुनरीक्षण संस्थित किये जाने में विलम्ब का समुचित कारण शपथ पत्र में दर्शित है तथा इस स्तर पर यदि विलम्ब का उपमर्षण नहीं किया जाता है तो आवेदक अपने दाण्डिक पुनरीक्षण संबंधी अधिकार से वंचित हो जायेगा जो उसका सांविधिक अधिकार है।

7– अतः सम्पूर्ण मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3ग अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र बावत विलम्ब उपमर्षण दाण्डिक पुनरीक्षण न्यायाहित में मु० 2500/– हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। बाद हर्जा अदायगी दाण्डिक पुनरीक्षण संस्थित किये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

दाण्डिक पुनरीक्षण अंगीकरण किये जाने के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के समक्ष दिनांक 25–10–2023 को पेश हो। अभिलेख तत्काल माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के कार्यालय को सम्प्रेषित किया जाये।

(निरंजन चन्द्र पाण्डेय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं० 1, गाजियाबाद।
J.O.Code UP–06061